न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

अपील संख्या 02/2018 (2018/00002)/प्रतापगढ़ पंजीयन दिनांक 27–06–2017

1. श्री नागुराम पिता बाबरिया भील निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री किशन पिता श्री धुराजी मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
2. श्री चन्दणा पिता श्री धुराजी मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
3. श्री लक्ष्मण पिता रकमा मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
4. श्री रामा पिता रकमा मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
5. श्री राजू पिता रकमा मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
6. श्री अशोक पिता रकमा मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
7. श्रीमती रकमी बेवा श्री रकमा मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
8. श्रीमती अमरी पिता मांगु मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
9. श्री बाबु पिता मांगु मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
10. श्री रतन पिता मांगु मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
11. श्री प्रहलाद पिता मांगु मीणा निवासी चंदेरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज.)
12. तहसीलदार, अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

..... रेस्पोडेन्ट्स

<u>उपस्थित</u> :

श्रीमती वन्दना उदावत : अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री कल्पिक जैन : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 5/2016 निर्णय दिनांक 31–03–2017

निर्णय

दिनांकः– 23.01.2019

अपीलार्थी द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 76 के तहत यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 5/2016 निर्णय दिनांक 31.3.2017 से असंतुष्ट होकर अन्दर मयाद प्रस्तुत की है।

अपील के तथ्य इस प्रकार है– अपीलान्ट नागुराम पिता श्री बाबरिया के खाता संख्या 194 कब्जे की आराजीयात नम्बर 809, 810, 834, 994, 995, 996, 1087, 1121, 1122, 1223, 2476, 2495 कुल कीता 12 रकबा क्रमशः 0.24, 0.33, 0.35, 0.01, 0.03, 0.93, 0.65, 1.62, 0.02, 0.06, 1. 49, 1.03 कुल रकबा 6.76 हैक्टेयर जो कि ग्राम चन्देरा में स्थित है, जिस पर अपीलान्ट काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 तक अपीलान्ट के परिवार के सदस्य नहीं है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 11 का अपीलान्ट की भूमि से कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट के पिता बाबरिया पिता जीवा के खाते कब्जे की होकर विरासत से अपीलान्ट के खाते में आयी है। रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 लगायत 6 तक ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य पेश कर उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा बताकर आधी जमीन अपने खाते नामान्तरकरण करवा ली जबकि रेस्पोडेन्ट के पिता धुरा का कही खाते में नाम दर्ज नहीं है न यह जमीन पैतृक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने तहसीलदार अरनोद के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1/2 हिस्सा अवैध तरीके से अपने नाम करा लिया और उसके नामान्तरण के आधार पर रेकर्ड अनुसार ऋण ले लिया किन्तु जब ऋण का तकाजा हुआ तो अपीलान्ट को जानकारी हुई कि उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ के आदेश 1502 दिनांक 3.1.2002 के आधार पर इन्तकाल खोला गया तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध निर्णय दिनांक 7.1.2002 नामान्तरण संख्या 538 के विरूद्ध अतिरिक्त जिलाधीश, प्रतापगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 15.6.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार अरनोद द्वारा स्वीकृत नामान्तरण निरस्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 द्वारा आदेश दिनांक 15.6.2016 से असंतुष्ट होकर पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 114 व आदेश 47 (क) सीपीसी के तहत प्रस्तुत करने पर न्यायालय अपर कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 15.7.2016 को पूर्व में किया गया नामान्तरण संख्या 538 दिनांक 7.1.2002 को बहाल रखा गया एवं स्वयं न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.6.2016 को निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने व्यथित होकर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। निर्णय जेर अपील मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर यह स्पष्ट तथ्य कि बाबरिया पिता जीवा के नाम का उक्त आराजीयात मे खाता था एवं बाबरिया के एकमात्र पुत्र नागुराम जो वैधानिक वारिस होने के कारण ही बाबरिया की स्वअर्जित भूमि का मालिक होने के कारण ही बाबुराम की मृत्यु के उपरांत नागुराम के नाम उक्त भूमि खाते दर्ज हुई, इन तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुये निर्णय जैर अपील पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.6.2016 रेकर्ड होने के बावजूद भी स्वयं न्यायालय द्वारा एक ही विवाद पर दो मत रखते हुये निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जो स्वतः ही निरस्तनीय है। इन्द्राज दुरस्ती का रिकॉर्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 12 द्वारा अंकित किया गया कि इन्तकाल संख्या 538 के आदेश चस्पा है, मगर रेकर्ड में कही भी आदेश चस्पा किये जाने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरस्ती संबंधित रिकार्ड चाहा गया एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रतापगढ़ को वर्ष 2002 में अरनोद क्षेत्र का चार्ज होने से भी उनके समक्ष भी इन्तकाल संख्या 538 संबंधित रिपोर्ट चाहने बाबत् आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त तथ्य रेकर्ड पर होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.6.2016 को पारित आदेश की पालना में अपीलान्ट के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट संख्या 12 द्वारा दिनांक 9.2.2017 को उक्त खाते में पूर्व इन्ताकल के स्थान पर पुरा खाता अपीलान्ट के नाम पर इन्तकाल संख्या 38 तथा 1360 खोला गया। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में गांव चन्देरा तथा पडवा अलग अलग होने से दो इन्तकाल खोले गये एवं अपीलान्ट के नाम खाता दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित आदेश की पालना हो चुकी है। इसके उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। अपीलान्ट वर्षो से उक्त विवादित भूमि को जो कि उसके पिता बाबरिया के समय से स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है, का लगान अपीलान्ट द्वारा जमा कराया जाता रहा है एवं भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है जिसके बिल का भुगतान भी अपीलान्ट द्वारा किया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता धुरा मीणा व अपीलान्ट के पिता के मध्य रक्त संबंध होने अथवा धुरा मीणा के पिता जीवा मीणा जो अपीलान्ट के दादा है के मध्य भी किसी प्रकार के रक्त संबंध होने अथवा उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा आधिपत्य होने से संबंधित दस्तावेज / प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने पर भी निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व निर्णय जैर अपील पारित करते हुए पूर्व में पारित आदेश की अनदेखी कर साक्ष्य की विवेचना/ व्याख्या नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय नें जल्दबाजी में अपीलान्ट के पक्ष में हुए नामान्तकरण कार्यवाही में पुनः सुने जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने मे गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई।

विद्धान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का दोहराव किया। साथ ही न्यायालय की जानकारी हेतु तथ्य बताये कि स्व. बाबरिया एकमात्र पुत्र है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता धुरा मीणा व अपीलान्ट के पिता के मध्य रक्त संबंध होने अथवा धुरा मीणा के पिता जीवा मीणा जो अपीलान्ट के दादा है के मध्य भी किसी प्रकार के रक्त संबंध होने अथवा उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा आधिपत्य होने के प्रमाण अथवा दस्तावेज मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.6.2016 में भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वारिसान अथवा स्वामित्व तथा आधिपत्य होने बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा अवैध तरीके से अपने नाम कराकर रेकर्ड अनुसार बैंक से ऋण भी ले लिया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 द्वारा आदेश दिनांक 15.6.2016 से असंतुष्ट होकर पुर्नर्विलोकन याचिका दायर की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में मेरिट पर नहीं सुनकर निर्णय पारित कर स्वयं के न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 15.6.2016 को निरस्त कर दिया, जो विधि अनुकूल नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

विद्यान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के संदर्भ में निवेदन किया कि किसी भी प्रकरण में रिवीजन हेतु माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड राजस्थान अधिकृत है जबकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू प्रस्तुत किया गया था जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा समीक्षा कर निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुकूल है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स में तहसीलदार अरनोद भी पक्षकार है जो कि भूमिधारी है। अतः गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलान्ट निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत हुए न्यायिक निर्णयों का ससम्मान पठन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 15.6.2016 में अंकित किया गया है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में आक्षेपित/विवादित नामान्तरकरण संख्या 538 दिनांक 7.1.2002 के संबंध में बाद अवलोकन नामान्तरकरण प्रविष्टि कॉलम संख्या 14 अंतर्गत अंकित नोट अनुसार विवादित

नामान्तरकरण जरिये आदेश इन्द्राज दुरूस्ती उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के तहत दाखिल किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलीय बिन्दुओं के अनुसरण में बाद जांच रिकार्ड एवं आदेश (इन्द्राज दुरूस्ती) की सम्पुष्टि का अभाव पाया गया है। वैसे भी जरिये इन्द्राज दुरूस्ती, सहखातेदारी की घोषणा किया जाना नियमानुकूल नहीं है, रेस्पोडेण्ट्स को इसके लिये सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव में खोला गया नामान्तकरण मात्र आदेश के अंकन किये जाने के आधार पर मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर तहसीलदार अरनोद द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 538 दिनांक 7.1.2002 को निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, प्रतापगढ़ में दिनांक 20.7.2016 को पुर्नविलोकन प्रार्थी श्री किशन पिता धुराजी मीणा बनाम श्री नागुराम पिता बाबरिया भील द्वारा लगाया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2017 को निर्णय पारित किया गया जिसमें न्यायालय से निर्णय प्रकरण संख्या 02/2016 निर्णय दिनांक 15.6.2016 अंतर्गत विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 2.2.2016 के संबंध में प्रार्थी/विपक्षीगणों द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 17.3.2016 के क्रम में बहस उभयपक्ष मियाद प्रार्थना–पत्र तथा बहस अन्तिम अपील का एक साथ मैरिट आधार पर निर्णय किया जाना दर्शित होता है तथा प्रार्थी द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 538 दिनांक 7.1.2002 के कारक आदेश प्रकरण संख्या 12/2002 के रिकार्ड दस्तावेजों के अभाव का कारण पत्रावली पर उपलब्ध नकल आवेदन अन्तर्गत नियम 213 सिविल रूल्स 1986 से प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में प्राथी का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में अपना पक्ष रखा जाने हेतु पुनरावलोकन स्वीकारोक्ती में कोई आपत्ति नहीं होना मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 1 दिवानी प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 15.6.2016 को विलोपित कर उभयपक्ष को सुनवाई के गुणावगुण अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण संख्या 2/2016 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.6.2016 में मयाद अधिनियम की धारा 5 पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.3.2017 सें प्रकरण में निर्णय दिनांक 15.6.2016 को विलोपित कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण संख्या 2/2016 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.3.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.3.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जगमोहन सिंह)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

Web Copy - Not Official